

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-18112020-223170
SG-DL-E-18112020-223170

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 247]	दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 17, 2020/कार्तिक 26, 1942	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 195
No. 247]	DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 17, 2020/KARTIKA 26, 1942	[N. C. T. D. No. 195

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

सूचना एवं प्रचार निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 17 नवम्बर, 2020

सं. फा. 6(6)/2014-15/डीआईपी/स्था./3102.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितंबर, 1968 की अधिसूचना सं.फा.24/78/68-डीएच (एस) तथा दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं.फा.27/59-एचआईएम(पद्म के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सरकार की दिनांक 01.06.1984 की अधिसूचना सं. फा. 2(10)/83-एस.II के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या किए जाने के लिए हटाई गई बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श के पश्चात् सूचना एवं प्रचार निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में 'उप-निदेशक/प्रेस सचिव/संपादक' के पद हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:

- संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :— (i) इन नियमों को उप-निदेशक/प्रेस सचिव/संपादक भर्ती नियमावली, 2020 कहा जाएगा।
(ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में स्तर :— उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इसके साथ संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 02 से 04 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता इत्यादि** :—उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु—सीमा, योग्यता एवं इनसे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 05 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. **अयोग्यता** :— ऐसा कोई भी व्यक्ति,
(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है; या
(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है,
वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;
- शर्त यह है कि यदि केंद्रीय सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।
5. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी के संबंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी भी उपबंध को शिथिल कर सकती है।
6. **बचाव** :—इन नियमों की किसी भी बात का सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिक या अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबंधित किए जाने के लिए आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	उप—निदेशक/प्रेस सचिव/संपादक
2.	पदों की संख्या	:	चार (04)* (2020) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	वर्गीकरण	:	समूह 'क' सामान्य केंद्रीय सेवा राजपत्रित, अलिपिकीय
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	स्तर—11 (67,700—2,08,700— रुपए)
5.	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है	:	चयन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	लागू नहीं।
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं।
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	पदोन्नति वालों हेतु दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा एवं विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाना है	:	पदोन्नति : ग्रेड में सात वर्ष की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर—7 (44,900—1,42,400/—रुपए) में और विभाग द्वारा यथानिर्धारित और प्रायोजित 2 से 4 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले सूचना अधिकारी। टीप : — जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय हैं। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परीवीक्षा अवधि

		अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक/पात्रता पहले ही पूरी कर ली है। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):— केंद्र सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सांविधिक या स्वायत्त निकायों/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/मान्यता प्राप्त संस्थानों के अंतर्गत अधिकारी :— क.(1) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा (2) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-9/स्तर-10 में पांच वर्ष की नियमित सेवा सहित या मूल संवर्ग/विभाग में समकक्ष ; तथा (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यताएं एवं अनुभव रखने वाले : अनिवार्य : 1. (क) (I) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से डिग्री। (II) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से पत्रकारिता/जनसंचार/विज्ञापन और जनसंपर्क में डिप्लोमा/स्नातकोत्तर डिप्लोमा। अथवा (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से पत्रकारिता/जनसंचार में डिग्री ; तथा 2. किसी सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त या सांविधिक निकाय/समाचार एजेंसी/समाचार चैनल/भारतीय समाचार पत्रों के पंजीयक के साथ पंजीकृत समाचार पत्र में पत्रकारिता/प्रचार/जनसंपर्क कार्य का सात वर्ष का अनुभव। 3. दसवीं कक्षा तक हिन्दी भाषा का अध्ययन। टीप — 1 : भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृंखला में है वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। टीप — 2 : केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है?	समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति : 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. सचिव (सेवाएं), दिल्ली —सदस्य 3. सचिव (जनसंपर्क) —सदस्य समूह 'ख' विभागीय स्थायीकरण समिति : 1. मुख्य सचिव, दिल्ली —अध्यक्ष 2. सचिव (सेवाएं), दिल्ली —सदस्य 3. सचिव (जनसंपर्क) —सदस्य
13.	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	पदोन्नति और प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

मनोज कुमार द्विवेदी, निदेशक (सूचना एवं प्रचार)

DIRECTORATE OF INFORMATION AND PUBLICITY**NOTIFICATION**

Delhi, the 17th November, 2020

No. 6(6)/2014-15/DIP/Estt/3102.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. F. 24/78/68-DH(s), dated the 24th September, 1968 and No. F. 27/59-HIM (i), dated the 13th July, 1959, and in supersession of this Government's Notification No. F. 2(10)/83-S.II dated-01.06.1984 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, after consultation with the Union Public Service Commission, is pleased to make the following rules for the post of '**Deputy Director/Press Secretary/Editor**' in the Directorate of Information and Publicity, Government of National Capital Territory, Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement:-** (i) These rules may be called the Deputy Director/Press Secretary/Editor Recruitment Rules, 2020.
(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.
2. **Number of posts, classification and pay level in the Pay Matrix:-** The number of said post, its classification and level in the Pay Matrix shall be as specified in columns 02 to 04 of the Schedule attached with these rules.
3. **Method of recruitment, age limit qualification, etc.:-** The method of recruitment to the said post, age-limit, qualification and other matters relating thereto, shall be specified in columns 05 to 13 of the said Schedule.
4. **Disqualifications:-** No person,
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
 - (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
 shall be eligible for appointment to the said post:
 Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
5. **Power to relax:-** Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving:-** Nothing in these rules shall effect reservations, relaxation of age-limit and other concessions, required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen or any other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1.	Name of the Post.	:	Deputy Director/Press Secretary/Editor.
2.	Number of Posts.	:	Four (04)* (2020) *Subject to variation dependent on workload.
3.	Classification.	:	GCS Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.
4.	Level in the Pay Matrix.	:	Level-11 (Rs. 67,700-2,08,700)
5.	Whether Selection or Non-Selection post.	:	Selection.
6.	Age-limit for direct recruits.	:	Not applicable.
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	:	Not applicable.
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees.	:	Not applicable.
9.	Period of probation, if any.	:	Two years for Promotees.

10.	Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	:	By promotion failing which by deputation (including Short Term Contract).
11.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/ absorption to be made.	:	Promotion: Information Officer in Level 7 (Rs. 44,900-1,42,400) in the Pay Matrix with seven years regular service in the grade and having successfully completed training of 02 to 04 weeks as prescribed and sponsored by the department. Note: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. Deputation (Short Term Contract): Officer under the Central Government/State Governments/Union Territory Administrations/ Public Sector Undertakings/Statutory or Autonomous Bodies/Recognised Universities/ Recognised Institutes: (A) (I) holding analogous posts on regular basis in Parent Cadre/Department; or (II) with five years regular service in Level-9/Level-10 in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre/department; And (B) possessing the following educational qualifications and experience: Essential: 1. (A) (I) Degree from a recognised University/Institute; (II) Diploma/Post Graduate Diploma in Journalism/ Mass Communication/Advertising and Public Relations from a recognised University/Institute. or (B) Degree in Journalism/Mass Communication from a recognised University/Institute; and 2. Seven years experience of Journalism/Publicity/Public Relation work in a Government Department/Public Sector Undertaking/ Autonomous or Statutory Body/News Agency/News Channel/ Newspaper registered with the Registrar of Newspapers for India. 3. Should have studied Hindi language up to 10th Class. Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: Period of deputation (including Short Term Contract) including period of deputation (including Short Term Contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four year. The maximum age limit for appointment by deputation (including Short Term

			Contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.
12.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	:	Group 'A' Departmental Promotion Committee: 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission-Chairman. 2. Secretary (Services), Delhi -Member. 3. Secretary (PR), Delhi -Member. Group 'B' Departmental Confirmation Committee:- 1. Chief Secretary, Delhi -Chairman. 2. Secretary (Services), Delhi -Member. 3. Secretary (PR), Delhi -Member.
13.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	:	Consultation with the Union Public Service Commission necessary for promotion and deputation (including Short Term Contract).

By Order and in the Name of Lt. Governor
 of National Capital Territory of Delhi,
 MANOJ KUMAR DWIVEDI, Director (I&P)